पुस्तकालय

2577
20/3/07

सत्यमेव जयते

16 MAR 2007 असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्रे०सं०...675...तिथि...20.07

...स० मु० (एल० ए०) 219––मोनो––1,000––9-6-2004

तारांकित प्रश्न संख्या ११९७ क्रमश :

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्री (क्रमश :) : फिर भी महोदय, अगर माननीय सदस्य को इस बात की चिन्ता है कि वहां पर सामग्री नहीं दी गयी है तो मैं प्रमंडलीय आयुक्त,पूर्णियां से इसकी जांच करा लूंगा और जो जांच प्रतिवेदन आयेगा, सरकार निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेगी और सरकार यह भी नजर रखेगी कि निश्चित रूप से रीलीफ हेड में राशि समय पर चली जाये ।

...

तारांकित प्रश्न संख्या : ११९८

श्री चन्द्र मोहन राय,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड १ उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड २ उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड ३ सरकार स्वयं सभी स्तर के वैसे अस्पतालों जिनका अपना भवन नहीं है, चरणबद्ध रूप से भूमि उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण कार्य हेतु स्वयं प्रयत्नशील है । शीघ्र ही इस कार्य को पूरा करा लिया जायेगा ।

श्री लाल बाबू राय : महोदय, वहां भूमि उपलब्ध है, भूमि की कोई कमी नहीं है, पूर्व में भी वहां पर कुछ काम चालू हुआ था, इसकी भी जांच कराने की मैं मांग माननीय मंत्री जी से करता हूं कि आप इसकी जांच करावें कि वहां पर भवन बनाने की बात पूर्व में हुई थी, वह बनना चालू भी हुआ । आखिर वह रूका तो किस कारण से, क्या इस बात की जानकारी माननीय मंत्री महोदय को है ?

श्री चन्द्र मोहन राय,मंत्री : मैं इसकी सूचना ग्रहण करता हूं और जो बाधा है उसको दूर कर यदि जमीन उपलब्ध है तो अगले वित्तीय वर्ष में भवन का काम पूरा करा दिया जायेगा ।

:::

तारांकित प्रश्न संख्या : ११९९

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड १ : उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वर्तमान में झील का तल बालू और नहर के पानी के गाद के कारण उथला हो गया है जिसके कारण, बरसात के अलावा, पानी सूख जाता है ।

खड २ : उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

इस जलाशय को विकसित के लिए पर्यटन विभाग द्वारा २२.६२ एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु १४लाख १३ हजार ५२० रूपये की स्वीकृति देते हुए राशि विमुक्त की गयी थी तथा भू-अर्जन हेतु अधियाचना पत्र जिलाधिकारी, सहरसा को पूर्व में समर्पित किया जा चुका है । बाद में जिलाधिकारी,सहरसा द्वारा उनके पत्रांक २६/१/भू० दिनांक १९.९.०६ द्वारा ३२ लाख १३ हजार १२ रूपये की अतिरिक्त राशि की मांग की गयी । वित्तीय वर्ष २००६-०७ में आवंटन उपलब्ध नहीं होने के कारण यह अंतिरिक्त आवंटन नहीं दिया जा सका ।

खंड ३ : उत्तर स्वीकारात्मक है

खंड ४ : जिलाधिकारी के मांग के अनुरूप अतिरिक्त आवंटन पर अगले वित्तीय वर्ष २००७-०८ में सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।

श्री संजीव कुमार झा : मै माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

...